UPJL050006072022

Presented on : 17-11-2022
Registered on : 17-11-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Mahendra Kumar Rawat

Original Suit/371/2022

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0),जालौन स्थान उरई।

मूलवाद संख्या– /2022

श्रीमती रूबी आदि बनाम रजत कुमार नागर उर्फ सौरभ।

CNR No-UPJL050006072022
J.O.Code No.-UP1820

1–संस्थित दिनांकः 17.11.2022
2–वादीगण अधिवक्ता–श्री बृजेन्द्र कुमार निरंजन एडवोकेट,
3–वाद का प्रकार–स्थायी निषेधाज्ञा,
4–वाद का मूल्यांकन–06,01,215/–रू0

दिनांकः 17.11.2022

मुंसरिम आख्या अवलोकित। आधार पर्याप्त हैं। अतः दर्ज रजिस्टर मूलवाद हो। प्रतिवादी को सम्मन जारी हो। इस बाबत पैरवी अविलम्ब की जाये। पत्रावली वास्ते प्रतिवादपत्र दिनांक 13.12.2022 तथा वाद बिन्दु हेतु दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

क्रमशः

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग–2 मय शपथ पत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी ने प्रार्थना पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना की है कि दौरान मुकदमा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र के अंत में उल्लिखित प्रश्नगत समपत्ति को किसी तरह से दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित न करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादिनी की ओर से सूची 10ग से कागज संख्या 11ग नकल बैनामा दिनांकित 03.12.1979 द्वारा देवीदयाल बहक दुर्गाप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद व रामशरण, प्रस्तुत किया गया है।

वादिनी संख्या 1, प्रतिवादी की पत्नी तथा वादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी के पुत्रगण हैं। वादिनी की ओर से अपनी मिल्कियत के संबंध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत बिना प्रतिवादी को सुने वादी के पक्ष में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण 6ग–2 दिनांक 20.12.2022 को पेश हो। वादीगण, प्रतिवादीगण पर तामीला हेतु पैरवी अविलम्ब करें।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR RAWAT
Date: 2022.11.18 19:04:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court